"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 621] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 24, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 24, 1943)

क्रमांक–11989/वि.स./विधान/2021. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) जो बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्र. 11 सन् 2021)

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 34) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन.

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 34) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(ङङ) ''हुक्का बार'' से अभिप्रेत है एक ऐसा प्रतिष्ठान, जहां लोग तंबाकू के साथ धूमपान करने के लिये एकत्रित होते हैं और/या किसी सामुदायिक हुक्का या नरगिल (गड़गड़ा) से कोई अन्य स्वाद, जो व्यक्तिगत और/या सामूहिक रूप से, प्रदाय किया जाता है।''

अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 4क एवं 4ख का अन्तःस्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"4क. **हुक्का बार पर रोक.**— इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।"

स्पष्टीकरण:—शब्द "भोजनालय" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान, जहां किसी भी प्रकार का भोजन या जलपान, जो आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, और उपभोग के लिए बेचा जाता है।

4ख. हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक.— कोई भी व्यक्ति, किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल (गड़गड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।"

धारा 12 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, अर्धविराम चिन्ह तथा शब्द "; या" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

~~"(ग) जहां कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है।"~~

अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 13क का अन्तःस्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"13क. **हुक्का बार के मामले में जब्त करने की शक्ति.**— यदि कोई पुलिस अधिकारी/आबकारी अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, और जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या उनका उल्लंघन किया जा रहा है, वह हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।"

अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 21क एवं 21ख का अन्तःस्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"21क. **हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड.**– जो कोई, धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा।

21ख. **हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान के लिए दण्ड.**– जो कोई, धारा 4ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसे जुर्माने, जो कि पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा।"

अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 27क का अन्तःस्थापन.

7. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"27क. **धारा 4क के तहत अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.**– इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 4क के तहत कारित अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।"

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 34) को, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है;

और यतः, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों/कस्बों में हुक्का बार संचालित है, जहां तंबाकू और अन्य स्वादयुक्त पदार्थों आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रभावित होकर, युवा पीढ़ी हुक्का के उपभोग के लिये इन हुक्का बारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हुक्का बारों की आड़ में, विभिन्न हानिकारक/नशीले पदार्थों का भी उपभोग किये जाने की आशंका रहती है;

और यतः, उपरोक्त अधिनियम के तहत हुक्का बारों को परिभाषित नहीं किया गया है और उन पर, किसी अवैधानिक गतिविधियों के लिये किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान भी नहीं है, जिसके कारण उन परिसरों में अवैधानिक गतिविधियां की जाती है;

और यतः, भारत गणराज्य के गुजरात, पंजाब एवं महाराष्ट्र राज्यों के द्वारा, हुक्का बारों पर प्रतिबंध के संबंध में, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 34) में, उनके राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप, आवश्यक संशोधन करके, भारत के महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर, अधिनियमित किया गया है;

और यतः, छत्तीसगढ़ राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप राज्य में हुक्का बार के संचालनकर्ता और जनता द्वारा हुक्का के उपभोग के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, ताकि राज्य में हुक्का बार के अवैध संचालन एवं हुक्का और इस तरह के अन्य उत्पाद के उपभोग पर समुचित नियंत्रण स्थापित किया जा सके;

अतएव, राज्य शासन द्वारा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 34) में, छत्तीसगढ़ राज्य के लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के क्रम में, संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

कवासी लखमा
वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 4 दिसम्बर, 2021

उपाबंध

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 3, धारा 4, धारा 12, धारा 13, धारा 21 एवं धारा 27 का सुसंगत उद्धरण :–

मूल अधिनियम की धारा 3. **परिभाषाएं**– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विज्ञापन" के अंतर्गत सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज द्वारा कोई दृश्यरूपण है और इसके अंतर्गत मौखिक रूप से या प्रकाश, ध्वनि, धूम्र या गैस प्रस्तुत करने या पारेषण के किसी माध्यम द्वारा की गई कोई घोषणा भी है;

(ख) "सिगरेट" के अंतर्गत,–

(i) किसी कागज या किसी अन्य पदार्थ में, जिसमें तंबाकू न हो, लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल है;

(ii) तंबाकू से युक्त किसी पदार्थ में लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल, जिसका उसके रूप, फिल्टर में प्रयुक्त तंबाकू की किस्म या उसकी पैकेजिंग और लेबल के कारण सिगरेट के रूप में प्रस्तुत किया जाना या उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किया जाना संभाव्य हो, भी है, किंतु इसके अंतर्गत बीड़ी, चुरूट और सिगार नहीं है;

(ग) "वितरण" के अन्तर्गत नमूने के रूप में वितरण भी है चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा;

(घ) "निर्यात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;

(ङ) "विदेशी भाषा" से ऐसी भाषा अभिप्रेत है जो कोई भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं है;

मूल अधिनियम की धारा 4. **सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध**–कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा;

परंतु किसी ऐसे होटल में जिसमें 30 कमरे हों या किसी रेस्तरां में जिसमें 30 या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और विमानपत्तनों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी।

मूल अधिनियम की धारा 12. **प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति**–(1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या औषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो विहित रीति में किसी युक्तियुक्त समय पर, किसी ऐसे कारखाने, भवन, कारबार परिसर या किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा,–

(क) जहां सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद में कोई व्यापार या वाणिज्य चलाया जा रहा है या सिगरेट अथवा किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय या वितरण किया जा रहा है; या

(ख) जहां सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई विज्ञापन किया गया है या किया जा रहा है।

मूल अधिनियम की धारा 13. **अभिग्रहण की शक्ति**–(1) यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या औषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि,–

(क) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज के संबंध में; या

(ख) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के संबंध में,

इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह विहित रीति में ऐसे पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किए गए सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज या विज्ञापन सामग्री का, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसने उस पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण किया है, अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारण नहीं किया जाएगा जब तक कि उस जिला न्यायाधीश का, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया था ऐसे प्रतिधारण के लिए अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है।

मूल अधिनियम की धारा 21. **कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड**–(1) जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 27. **अपराधों का जमानतीय होना**–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.